



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार चौरसिया (2019120)/11003611/ बलिया/31.01.2040	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1413 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3738 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब))/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद समीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री रुद्र प्रताप (2019056)/11003932/आजमगढ़/31.08.2040	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1420 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियन्त्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3741 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/का० एवं प्रशा०/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद अली)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री धर्मेन्द्र कुमार (2019094)/11004341/बलिया/31.10.2044	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1431 दि० 13.07.2028 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3746 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधीशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री राम लखन (2017504)/11004446/फतेहपुर/31.01.2043	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1435 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3747 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब))/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद सैफीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री विजय नारायण चौहान (2017148)/11004502/महाराजगंज/31.07.2044	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1438 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3348 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब))/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सेप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री अखिलेश कुमार (2019107)/11004523/मऊ/31.05.2043	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1440 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3749 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री संतोष कुमार (2020382)/11004554/सिद्धार्थनगर/30.11.2037	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1455 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3755 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी (2019015)/11006148/सोनभद्र/30.09.2038	सहायक अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1457 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3756 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद संगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री सतीश कुमार सिंह (2017388) / 11007638 / चंदौली / 31.07.2041	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1529 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3762 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जनपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिकासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद समीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री रवि कोष्टा (2017217)/11008000/झाँसी/31.08.2040	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1530 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3763 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को बैंब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबन्धित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद सागर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री अवनीश कुमार (2017506)/11007637/वाराणसी/29.02.2040	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1531 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

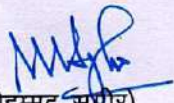
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3764 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद सपौर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	इ० ज्योति प्रकाश (2019078)/11007617/सोनभद्र/31.07.2040	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1534 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3765 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद समीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री सन्तोष कुमार सिंह (2017171)/11002664/गोरखपुर/31.03.2039	सहायक अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1649 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

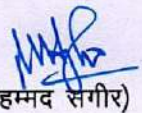
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक **3812** /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : **14-07-2026**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद सागीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री आलोक कुमार उपाध्याय (2017118)/11002669/ मिर्जापुर/30.04.2039	सहायक अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1650 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3813 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिकांसी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-(2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2026-27 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित क्षेत्र को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/सैप आई०डी०/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	आवंटित क्षेत्र का नाम
1	2	3	4
1	श्री मो० रोशन जमीर मोईनुद्दीन (2017355)/11002778/ पूर्णिया, बिहार/ 31.12.2040	सहायक अभियन्ता, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०। (पाकालि ज्ञाप सं०: 1655 दि० 13.07.2026 के द्वारा प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को आवंटित)	मुरादाबाद क्षेत्र

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही Joining/Relieving की प्रक्रिया ई०आर०पी० के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारी को सम्बन्धित माह का वेतन तभी निर्गत किया जाये जब इनके द्वारा आवंटित आवास को रिक्त किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- नियंत्रक एवं आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा आई०डी० व पासवर्ड का हस्तान्तरण/बन्द की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
- विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 3815 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ तददिनांक : 14-07-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(का० एवं प्रशा०)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षक अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साइट पर अपलोड कराने हेतु।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिसासी अभियन्ता (मुख्यालय)/(स्टाफ आफिसर), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उप सचिव (अ०प्र०-2ब)/(गोपन), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- कैम्प कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- संबंधित अधिकारी।
- वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।


(मोहम्मद सगीर)

मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०)